



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112020-222971
CG-DL-E-05112020-222971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3525]
No. 3525]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2020/कार्तिक 14, 1942
NEW NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2020/KARTIKA 14, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2020

का.आ. 4004(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की घोषणा के लिए 05 दिसंबर, 2016 के का.आ.सं. 3645 (अ), द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

पैरा 6 (ख) में, “तीन वर्ष की अवधि के लिए” शब्दों के स्थान पर “अगले आदेश होने तक:

परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 25/47/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक ‘जी’

टिप्पण: मूल अधिसूचना तारीख 5 दिसंबर, 2016 को का.आ. 3645 (अ), द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी;

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2020

S.O. 4004(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published vide S.O. number 3645 (E), dated the 5th December, 2016 for declaration of Eco-Sensitive Zone around the Sanjay Gandhi National Park, Maharashtra, namely: -

In the said notification,-

in paragraph 6 (b), for the words “for a period of three years” shall be substituted by the words “ till further orders:

Provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.”.

[F. No. 25/47/2014-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3645(E), dated the 5th December, 2016.